

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्र सं०-प्र०-06/विविध-164/2010 3117(E)^{वे} पटना, दिनांक 21/6/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।/
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०पथ अंचल सहित),
पथ निर्माण विभाग।/
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, ।

विषय:- अन्य विभागों के संवेदको को काली सूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा निम्न संवेदक से निबंधन पर रोक लगाये जाने की सूचना दी गई है, जो निम्न है:-

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्त
1.	मेसर्स एन० डी० इंजीनियरिंग वर्क्स पश्चिमी गाँधी मैदान, जहानाबाद, नि०सं०- 633/2008 द्वितीय श्रेणी	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-4102 दिनांक-31.01.2017	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में संवेदक के निबंधन को काली सूची से मुक्त किया गया।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह- विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : प्र०-06/विविध-164/2010 3117(E)^{वे} पटना, दिनांक 21/6/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को
अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह- विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


20/6/17

419



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सफाई
कार्यालय आदेश

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या
63231

13/04/17

सका0आ0सं0-14/अ0प्र0-2-267/2016 4102 पटना, दिनांक- 03/04/17

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या- 14/अ0प्र0-03-31/2014- 10939 दिनांक 08.09.2015 द्वारा संवेदक मेसर्स एन0डी0 इंजिनियरिंग बक्स, पश्चिमी गॉंधी मैदान, जहानाबाद, निबंधन संख्या-633/2008 श्रेणी- द्वितीय को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर के ज्ञापांक 460 दिनांक 16.04.2014 से एकरारनामा को विखंडित करते हुए विभागीय काली सूची में डाला गया था। इसके विरुद्ध संवेदक मेसर्स एन0डी0 इंजिनियरिंग बक्स, पश्चिमी गॉंधी मैदान, जहानाबाद, निबंधन संख्या-633/2008 श्रेणी- द्वितीय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या - 16221/2016 दायर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 08.12.2016 को पारित न्यायादेश द्वारा उक्त विभागीय आदेश को रद्द कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में मेसर्स एन0डी0 इंजिनियरिंग बक्स, पश्चिमी गॉंधी मैदान, जहानाबाद, निबंधन संख्या-633/2008 श्रेणी- द्वितीय को विभागीय काली सूची से विमुक्त किया जाता है।

अभिप्रेत प्रमुख

44176

19/4/17

21/4/17

श्री. प्र. 21/4/17

(शंकर प्रसाद सिंह)
अभिप्रेत प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-2-267/2016 4102 पटना, दिनांक- 03/04/17
प्रतिलिपि- मेसर्स एन0डी0 इंजिनियरिंग बक्स, पश्चिमी गॉंधी मैदान, जहानाबाद, निबंधन संख्या-633/2008 श्रेणी- द्वितीय को सूचनार्थ प्रेषित।

श. प्र. 21/4/17

21/4/17

अभिप्रेत प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-2-267/2016 4102 पटना, दिनांक- 03/04/17
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभिप्रेत प्रमुख

1666
21/4/17